भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4956

जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026/2 चैत्र, 1948 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन और बीमा दावों का निपटान

4956.श्री राजीव राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-26 के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत घोसी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में विशेषकर कम आय वाले और असंगठित क्षेत्र के लाभार्थियों के संबंध में कितने नामांकन और नवीकरण हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मऊ जिले में प्रीमियम की कुल कितनी राशि एकत्र की गई है और कितने दावे किए गए, कितने दावे निपटाए गए, कितने दावे अस्वीकृत किए गए और कितने दावे लंबित हैं और दावों के निपटान में औसतन कितना समय लगता है;

(ग) क्या किसी संपरीक्षा या मूल्यांकन के निष्कर्षों में पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दावा निपटान अनुपात, प्रलेखन विलंब या नवीकरण हेतु अंतराल से संबंधित समस्याओं को उजागर किया गया है और यदि हां, तो उक्त जिले में तत्संबंधी स्थिति क्या है;

(घ) सरकार द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता, नवीकरण दरों और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ड.) जिला-वार नामांकन और दावा संबंधी आंकड़ों की निगरानी और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): ब्यौरा अनुबंध-क में दिए गए हैं।

(ग): आईआरडीएआई ने साझा किया कि उनके पास बीमाकर्ता स्तर पर पीएमएसबीवाई का एक आंतरिक विश्लेषण तंत्र है। विश्लेषण के अनुसार, बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए दावे उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए एकत्र किए गए प्रीमियम से अधिक हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	सकल प्रीमियम (लाख रुपए में)	भुगतान किए गए दावे (लाख रुपए में)	भुगतान किए गए दावों के प्रतिशत
2024-25	3217	4426	138%
2023-24	2638	3321	126%
2022-23	2238	2609	117%

(घ) और (ङ): पीएमएसबीवाई के अंतर्गत जागरूकता, नवीकरण दरों और शिकायत निवारण में सुधार करने के लिए बैंकों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ बुनियादी स्तर पर नियमित अभियान चलाए जाते हैं।

दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.10.2025 तक पूरे देश में 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 4 माह का "वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान" शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और सहभागिता में सुधार करना था।

नामांकन और दावा विप्रेषण के लिए आरंभ से अंत तक अंकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा संरक्षण तक किफायती सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए जन सुरक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों और 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा 11 बीमा कंपनियों को पोर्टल पर शामिल किया गया है।

अनुबंध- क

(क) पीएमएसबीवाई के अंतर्गत नामांकन और नवीनीकरण की संख्या का ब्यौरा

	दिनांक 31.05.2024 की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.05.2025 की स्थिति के अनुसार		दिनांक 25.02.2026 की स्थिति के अनुसार	
जिला / राज्य का नाम	संचयी नामांकन	नवीनीकरण की संख्या	संचयी नामांकन	नवीनीकरण की संख्या	संचयी नामांकन	नवीनीकरण की संख्या
मऊ	6,46,297	3,16,183	7,91,097	4,48,231	8,92,343	5,42,882
उत्तर प्रदेश	6,52,73,037	3,58,87,865	7,57,44,309	4,59,11,156	8,47,01,923	5,08,75,574
देश कुल	44,34,01,449	22,98,74,967	51,30,33,059	30,21,62,034	57,11,25,468	33,71,81,231

(ख) पीएमएसबीवाई के दावों के आंकड़ों का विवरण

जिला / राज्य	दिनांक 31.05.2024 की स्थिति के अनुसार				दिनांक 31.05.2025 की स्थिति के अनुसार				दिनांक 25.02.2026 की स्थिति के अनुसार			
	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	अस्वीकृत किए गए दावे	बकाया दावे	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	अस्वीकृत किए गए दावे	बकाया दावे	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	अस्वीकृत किए गए दावे	बकाया दावे
मऊ	55	35	18	2	69	38	18	13	72	50	17	5
उत्तर प्रदेश	14,120	9,978	3,044	1,098	18,486	11,721	3,829	2,936	19,359	14,291	3,776	1,292
देश कुल	1,80,812	1,37,404	37,802	5,606	2,13,642	1,59,338	47,458	6,846	2,40,226	1,76,859	55,693	7,674

आईआरडीएआई के अनुसार :

(1) पीएमएसबीवाई के लिए कम आय और असंगठित क्षेत्र जैसी जानकारी नहीं रखी जाती है।

(2) पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कुल प्रीमियम से संबंधित डेटा वार्षिक आधार पर और राज्यवार रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कुल सकल प्रीमियम संग्रह 32.17 करोड़ रुपये था।
